

असाधारण

**EXTRAORDINARY** 

भाग III--खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

**PUBLISHED BY AUTHORITY** 

ਸਂ. 40] No. 40] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 1, 2010/माघ 12, 1931

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 1, 2010/MAGHA 12, 1931

## केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2010

सं. 1/1/2009-विनि. कार्य (आरईसी)/के.वि.वि.आ.— केन्द्रीय आयोग, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र की मान्यता तथा उन्हें जारी करने के लिए निबंधन तथा शर्ते) विनियम, 2010 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आर.ई.सी. विनियम" कहा गया है) के विनियम 3(1) के अधीन प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 26 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र (एन.एल.डी.सी.) को आर.ई.सी. विनियमों के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय अभिकरण के रूप में अभिहित करता है।

आलोक कुमार, सचिव

[विज्ञापन III/4/150/09-असा.]

## CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2010

No. 1/1/2009-Reg. Aff. (REC)/CERC.—In exercise of the powers conferred under Regulation 3 (1) of the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Recognition and Issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010 (hereinafter "the REC Regulations"), the Central Commission hereby designate the National Load Despatch Centre (NLDC) established under sub-section (1) of Section 26 of the Electricity Act, 2003 as the Central Agency for the purposes of the REC Regulations.

ALOK KUMAR, Secy.

[ADVT. III/4/150/09-Exty.]